सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

ग्राम लोइंग तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कलेक्टर रायगढ़ के आदेश क्रमांक 7380/भूअर्जन/2020 रायगढ़ दिनांक 02.06.2020 के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ के आदेश क्रमांक 6007/भूअर्जन/रायगढ़ दिनांक 03.07.2020 के अनुपालन में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसके पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) कि धारा 7 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ दल की बैठक दिनांक 23.07.2020 को आयोजित की गई। इस बैठक में सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञ दल द्वारा पूर्व में गठित सामाजिक समाघात दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं विभागीय अभिलेखों का परीक्षण किया गया उक्त प्रतिवेदन के विभिन्न बिंदुओं पर अधिनियम 2013 की धारा 7 में दिये प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विचार किया गया तदनुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

सपनई बैराज के अंतर्गत बन रही नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि ग्राम लोइंग के प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार किया गया।

सपनई बैराज का निर्माण हो गया है इस योजना से 2386 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है इस हेतु नहर का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए ग्राम लोइंग की 4.713 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है।

ग्राम लोइंग, तहसील रायगढ़ के अन्तर्गत आता है। ग्राम में सामाजिक समाघात दल के तत्वाधान में ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामिणों को योजना की जानकारी देते हुए उनसे प्रस्तावित भू अधिग्रहण अधिनियम बाबत् प्रभावितों की सहमति प्राप्त की गई जो कि संलग्न है। ग्रामसभा का दिनांक 1.2.2019 को आयोजन किया गया बहुमत से सहमति प्राप्त है

इस प्रकरण में ग्राम में कुल 4.713 हे. भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें 42 खातेदार कृषक प्रभावित हो रहे है। इसमें 01 अनुसूचित जाति के, 33 अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा 08 सामान्य जाति वर्ग के है। चूंकि ये माइनर नहर के निर्माण का प्रकरण है, इसलिए प्रस्तावित अधिग्रहण का स्वरूप रेखीय (लीनीयर) है। ऐसे प्रकरणों में भूमि का रकवा कम होता है, परन्तु प्रभावितों की संख्या अधिक होती है, जो इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण में केवल 4.713 हे. भूमि है जबकि प्रभावित खातेदारों की संख्या 42 है। इसमें एक खातेदार के प्रस्तावित अधिग्रहण की अधिकतम सीमा 0.752 हेक्टेयर है एवं न्यूनतम सीमा 0.008 हेक्टेयर है, स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि इतनी अधिक नहीं है कि उस पर परियोजना का विपरीत प्रभाव पड़े, यह स्थिति संलग्न मुआवजा पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट हो जाती है।

पुनीता पोल

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित अधिग्रहण से होने वाले प्रभावितों से ली जा रही भूमि का विवरण एवं उनके द्वारा धारित भूमि के कुल रकबे के अवलोकन से यह स्थिति भली भांति स्पष्ट हो जाती है। अर्जित की जा रही भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

स.क्र.	खसरा नं.	रकबा (हे. में)	स.क्र.	खसरा नं.	रकबा (हे. में)	स.क्र.	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
1	217	0.176	21	294/1	0.024	41	519	0.012
2	203	0.208	22	297	0.272	42	470	0.032
3	289	0.368	23	301/3	0.064	43	466/2	0.216
4	211	0.060	24	322/1	0.275	44	469/1	0.068
5	215	0.020	25	299/1	0.248	45	469/2	0.064
6	216/1	0.012	26	303/3	0.020	46	467	0.092
7	216/2	0.020	27	303/4	0.040	47	466/1	0.020
8	294/2	0.068	28	319/2	0.012	48	466/3	0.152
9	436/2	0.008	29	299/2	0.040	49	441	0.020
10	213/1	0.089	30	306	0.040	50	435	0.008
11	212	0.036	31	506/1	0.216	51	434/2	0.008
12	295	0.212	32	513	0.008	52	433	0.008
13	199/1	0.132	33	511/1 क	0.068	53	432	0.008
14	204/571/2	0.024	34	511/1 ख	0.072	54	431/2	0.008
15	204/571/3	0.064	35	510/3	0.100	55	422	0.040
16	288/1	0.008	36	510/2	0.060	56	425/3	0.096
17	291/5	0.100	37	516/2	0.060	57	427/2	0.108
18	291/2	0.121	38	517/2	0.016	58	424/2	0.024
19	292/2	0.068	39	517/3	0.080	59	423	0.080
20	293	0.080	40	517/1	0.060	योग		4.713

कुल 4.713 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रहा है।

(1) प्रस्तावित अधिग्रहण का उद्देश्य :– सपनई बैराज अन्तर्गत लोइंग माइनर नहर निर्माण से ग्राम लोइंग के कृषकों को कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी जिससे इस क्षेत्र के कृषकों की आय में वृध्दि के साथ–साथ इस ग्राम का चहुमुखी बिकास होगा। कृषकों की मौसम पर निर्भरता समाप्त हो जावेगी। यह अधिग्रहण लोक हित में किया जा रहा है एवं इसका उद्देश्य कृषकों की सिंचाई क्षमता में वृध्दि करना है, अतः यह प्रस्तावित अर्जन सदभाविक एवं आवश्यक हैं। निश्चय ही प्रस्तावित अधिग्रहण से लोक अभियोजन की पूर्ति होती है।

(2) प्रस्तावित अधिग्रहण से किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को कोई क्षति नहीं हो रही है। प्रभावितों की भूमि बहुत कम अधिग्रहित की जा रही है जिससे उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है और प्रभावितों को नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्वव्यस्थापन के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति की जा रही है, फलस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन से होनें वाले लाभ, हानि की तुलना में कहीं अधिक है।

23/7/2020

Scanned with CamScanner

(3) लोइंग माइनर नहर निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल ही अधिग्रहित किया जा रहा है।

(4) विभाग के पास पूर्व में अर्जित की गई कोई भी भूमि अनुपयोगी नहीं पडी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु है। अर्जन से लाभ अधिक हानि नगण्य है। वैकल्पिक भूमि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता एवं न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि आवश्यक है अतः विशेषज्ञ दल प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा करता है।

ए.के. अग्रवाल 28.7.2020
सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ

एच.आर. वैश्य 28-7-2020
सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर
पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ

23/7/2020
दीपक सोनी
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक

डॉ. मुकेश गोस्वामी
गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक

श्रीमती गीतांजली गुप्ता
जनपद पंचायत सदस्य पुसौर
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

श्रीमंती पुनीता पटेल
जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्र. 02 रायगढ़
स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

एम.एस. नायक 23/7/20
सहायक अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण रायगढ़

ए.के. सोम
तहसीलदार
तहसील रायगढ़

Scanned with CamScanner